मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः— चन्द्रशेखर भण्डारी, RAS

प्रकरण सं. 240/2015 वाद

1. सुरेशचन्द्र पिता मोहन मीणा, उम्र 25 साल, निवासी साकरिया।
2. कालुराम पिता मोहन मीणा, आयु 30 साल, निवासी साकरिया, तहसील निम्बाहेड़ा।

— वादीगण

//बनाम//

1. मोहन पिता भुरा मीणा, आयु वयस्क, निवासी साकरिया।
2. श्रीमती कमला पत्नी रंगलाल मीणा, निवासी साकरिया।
3. श्रीमती प्रेमलता पत्नी श्रीराम मीणा, निवासी गुडली, तहसील निम्बाहेड़ा।
4. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार (उप पंजीयक) निम्बाहेड़ा।

— प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दावा

अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 रा.का.अधि.

प्रकरण में वादी की ओर से अधिवक्ता श्री रामचन्द्र धाकड़ की उपस्थिति में दिनांक 02.12.2019 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी तथा आदेश दिये गये थे कि विवादित भूमि मौजा साकरिया की खाता संख्या 165 की आराजी नं. 96 रकबा 0.8400 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 मोहनलाल के नाम दर्ज 1/3 हक हिस्से में से 1/3 हिस्सा वादी संख्या 1 का, 1/3 हिस्सा वादी संख्या 2 का तथा शेष 1/3 हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का घोषित करते हुए कुलिया विवादित आराजीयात में वादी संख्या 1, 2 व प्रतिवादी संख्या 1 का प्रत्येक का 1/9, 1/9 हिस्सा रहेगा। शेष 1/3 हिस्सा यथावत कमला पत्नी रंगलाल तथा 1/3 हिस्सा प्रेमलता पत्नी श्रीराम मीणा सा. निम्बाहेड़ा के रखा गया तथा तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 500 रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर फर्द विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपने पत्रांक/टीआरए/90, दिनांक 30.07.2020 के माध्यम से फर्द विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो [illegible] अनुसार है।

अतः वाद वादीगण कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि का बंटवारा फरिकेन के मध्य निम्नानुसार किया जाता है:—

1— सुरेश चन्द्र, कालूराम पिता मोहन 2— मोहन पिता भूरा [illegible] मीणा सा. देह खातेदार के रहेगीः—

आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	लगान रूपये में
96 मध्य भाग	0.2800	5.32

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:25:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधि[illegible]
निम्बाहेड़ा (राज[illegible]

Scanned with CamScanner

2- कमला पत्नी रंगलाल मीणा, सा. निम्बाहेड़ा के रहेगी-

आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	लगान रूपये में
96 उत्तरी भाग	0.2800	5.32

3- प्रेमलता पत्नी श्रीराम मीणा, सा. निम्बाहेड़ा के रहेगीः-

आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	लगान रूपये में
96 दक्षिणी भाग	0.2800	5.32

उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज तारीख 10.08.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

10/8/20

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (राज.)

सत्यमेव जयते

Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:25:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner